विधि में कॅरिअर

ख्वाज़ा अब्दुल मुंताकिम

विधिक व्यवसाय तीव्र गति से पनप रहा व्यवसाय है, आज के सार्वभौमिकरण तथा उदारीकरण के दौर में इस व्यवसाय को और गति मिलने की संभावना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी. ओ.) के बढ़ते हुए महत्व के परिणाम स्वरूप मामलों के निपटान के लिए अधिक वकीलों की जरूरत होगी. इस समय भारत में अधिवक्ताओं (एडवोकेट) की संख्या 5,00,000 में भी अधिक है और प्रति वर्ष 15,000 नए पंजीकरण होने के साथ ही यह संख्या बढ़ती जा रही है. एक सभ्य समाज में वकीलों को ऊंचा सम्मान दिया जाता है क्योंकि वे समाज के सभी वर्गों को न्याय–तंत्र के सभी स्तरों अर्थात ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या अर्ध–न्यायिक संस्थाओं में न्यायालयोंμसिविल या आपराधिक के माध्यम से प्रवर्तित उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार दिलाने में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देते हैं. विधि में डिग्री या अन्य उच्च विधिक योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार के व्यापक अवसर होते हैं. यह उन पर निर्भर होता है कि वे सेवा को चुनें या वकील के रूप में प्रैक्टिस करना पंसद करें ।

विधिक प्रैक्टिसनर/एडवोकेट/ विधि–सलाहकार

वकील कार्पोरेट क्षेत्र, फर्मों संगठनों, विधिक व्यक्तियों, व्यक्ति विशेष तथा परिवारों के लिए विधिक परामर्शदाता एवं विधि सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं. वे विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में, अध्यापक, विधि रिपोर्टर, कंपनी सचिव तथा ऐसे अन्य रूप में कार्य कर सकते हैं. अन्य डिग्रियों के साथ विधि की अतिरिक्त योग्यता रोज़गार के व्यापक अवसरों की संभावना को बढ़ाती है. भारत में एडवोकेट बनने तथा एक व्यवसाय के रूप में विधि की प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति को बुनियादी विधि डिग्री प्राप्त होनी चाहिए. उसे एडवोकेट अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य केन्द्रीय बार परिषद में अपना पंजीकरण करना चाहिए. इसके अतिरिक्त, उसे भारतीय बार परिषद द्वारा हाल ही में प्रवर्तित प्रवेश परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना अपेक्षित होता है, अन्यथा एडवोकेट के रूप में किसी का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा. जिस राज्य बार परिषद के अधिकार क्षेत्र में उम्मीदवार प्रैक्टिस करना चाहता है, वह उस परिषद को, एडवोकेट के रूप में प्रवेश के लिए, निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा ।

सरकारी सेवा

अपेक्षित योग्यताधारी व्यक्तियों का विभिन्न पदों पर विधि कार्य विभाग में विधि सलाहकार एवं विधायी विभाग में विधायी परामर्शदाता के रूप में भारतीय विधिक सेवा में भर्ती किया जाता है. ये अधिकारी, अपनी उपयुक्तता के अनुसार समय आने पर सचिव भारत सरकार के स्तर तक पहुंच सकते हैं. इसी तरह हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं (असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल एवं उर्दू) के विधायी विभाग के राजभाषा स्कंध में भी विधायी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं. राज्य स्तर पर भी विधिक योग्यताएं और व्यावसायिक योग्यताएं रखने वाले अधिकारी भी समतुल्य पदों पर नियुक्त किए जाते हैं. तथापि, इनके पदनाम अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लगभग सभी मंत्रालयों/ विभागों/उपक्रमों में विधि अधिकारी/विधिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं. ये सभी पद सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित/प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती द्वारा भरे जाते हैं. इन सभी पदों के लिए कला/विज्ञान/वाणिज्य में डिग्री के अतिरिक्त विधि में डिग्री और प्रत्येक पद की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक अनुभव बुनियादी योग्यता है. विधि विभाग के सदस्यों, सरकारी एडवोकेट, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, सॉलिसिटर, एटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, नॉटरी तथा ओथ कमिश्नर एवं विधान–सभाओं में विधि सचिवों के अतिरिक्त, उच्च/निम्न न्याय–तंत्र/ अर्ध–न्यायिक संस्थाओं में कर्मचारी, कैट, आयकर, विक्रय कर, उत्पाद शुल्क तथा अन्य अधिकरणों में न्यायिक सदस्य भी, रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमानुसार नियुक्त किए जाते हैं. तथापि नए विधि स्नातकों को सामान्यतः सचिवालय में सहायक के समकक्ष पदों जैसे विधिक सहायक, विधिक/न्यायिक अनुवादक आदि जैसे अराजपत्रित पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

उन्हें भारतीय सेना, नौसेना तथा वायुसेना की विधि–शाखाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी भर्ती किया जाता है. वे जांच न्यायालयों का संचालन करते हैं और विधि के अनुसार दोषी सेवारत कार्मिकों का कोर्ट मार्शल करते हैं।

न्याय तंत्र

न्याय–तंत्र में मजिस्ट्रेट/मुन्सिफ या सब–जज के निम्नतम न्यायिक संवर्ग पदों को संघ लोक सेवा आयोग या अन्यथा उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में भर्ती द्वारा भरा जाता है. इन सभी पदों के लिए बुनियादी कला/विज्ञान/वाणिज्य आदि में डिग्री के अतिरिक्त विधि में डिग्री (व्यावसायिक) आवश्यक है और इन पदों के लिए आयु सीमा सामान्यतः 35 वर्ष होती है, जो विशेष वर्गों के लिए नियमानुसार शिथिलनीय होती है. मजिस्ट्रेट आपराधिक न्यायालय की अध्यक्षता करता है और मुन्सिफ/सब–जज सिविल मामले देखता है. ये अधिकारी पदोन्नति द्वारा डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बन सकते हैं तथा ये अपनी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जज के कार्यालय तक भी पहुंच सकते हैं. पहले डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों को सेवारत/प्रैक्टिसरत वकीलों में से चुन कर पदोन्नत किया जाता था, किंतु अब अधिकांश राज्यों में उन्हें राज्य आयोगों/उच्च न्यायालयों द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है ।

अध्यापन

अच्छा शैक्षिक रिकार्ड रखने वाले, विशेष रूप से एल.एल.एम., पी.एच.डी. डिग्री या उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य रखने वाले व्यक्ति, छात्रों के लिए विधि पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों या संस्थान में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं. प्राइवेट विश्वविद्यालयों के बड़ी संख्या में खुलने के कारण विजिटिंग प्रोफेसर के लिए व्यापक अवसर होते हैं और वे, उनकी प्रतिष्ठा तथा कुशाग्र बुद्धि के कारण ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देते हैं ।

विधि पुस्तकों/पत्रिकाओं/रिपोर्टों का लेखन/सम्पादन

यदि कोई व्यक्ति विधि की जटिलता एवं उसकी पद्धत्तियों से परिचित है तथा जो केस विधि की जटिलता को समझता है और लेखन की रुचि रखता है तो वह विधि की पुस्तकों/विधि–कॉमेंट्री का लेखक बनने के लिए उपयुक्त है इसके अतिरिक्त विधि रिपोर्टों, विधि–पत्रिकाओं के प्रकाशन, अन्य सभी पत्रकारिता संबंधी कार्यों को करने एवं विधि शब्द–कोश संकलन के लिए उपयुक्त व्यक्ति है ।

विधिक आउटसोर्सिंग

विधिक आउटसोर्सिंग का आशय किसी बाहरी विधि फर्म से विधिक सेवाएं प्राप्त करने वाली किसी विधि फर्म की प्रैक्टिस से है. जब ऐसी सेवा किसी अन्य देश में किसी आउटसोर्स फर्म से ली जाती है तब इस प्रक्रिया को ऑफशॉरिंग के रूप में जाना जाता है. एक रिपोर्ट के अनुसार एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में इस क्षेत्र में रोज़गार की संख्या बढ़ कर 2015 तक 79000 होने के साथ ही भारत में विधिक आउटसोर्सिंग की पर्याप्त संभावना है. विधिक आउटसोर्सिंग का क्षेत्र पहले अप्रयुक्त था. इस समय भारत में विधिक आउटसोर्सिंग में रोज़गार की संख्या 12000 से कम है. विधिक आउटसोर्सिंग की सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में सूचना–सुरक्षा, रुचि की प्रतिकूलता तथा भारतीय वकीलों को विदेशी बार परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आदि शामिल है ।

वेतन

जहां तक वेतन का संबंध है, यह उस क्षेत्र पर निर्भर होता है जिसे उम्मीदवार चुनता है. यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र या किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संगठन जहां सरकारी नियम लागू होते हैं, में कोई रोज़गार प्राप्त करता है तो वह सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार परिलब्धियां प्राप्त

करने का हकदार होगा. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के बाद, सरकारी कर्मचारी पदनाम एवं कार्य की प्रकृति के आधार पर रु. 20000 से एक लाख रु. के बीच तथा इससे भी अधिक आकर्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं. अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं विधि फर्मों ने भी कैम्पस चयन प्रारंभ कर दिए हैं कंपनी की ख्याति के अनुसार तीन से चार लाख रु. के बीच के वार्षिक पैकेज देने प्रारंभ कर दिए हैं. तथापि, अपनी निजी प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति प्रारंभिक चरण पर संघर्ष करते हैं किंतु उनके निरंतर प्रयास उन्हें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है. इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित प्रकाशनों से जुड़े विधि रिपोर्टरों, विधि पत्रकारों, लेखकों एवं सम्पादकों और फ्री–लांसरों की आय भी अच्छी होती है ।

पाठ्यक्रम विवरण

कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में स्नातक योग्यता के बाद तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम (एल.एल.बी.) कर सकता है या बी.ए.; एल.एल.बी. (ऑनर्स) डिग्री के लिए बारहवीं कक्षा परीक्षा के बाद पांच वर्षीय पाठ्यक्रम कर सकता है. एल.एल. बी. में प्रवेश सामान्यतः स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है. तथापि, कई विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय विधि विद्यालयों जैसी कई संस्थाएं प्रवेश परीक्षाएं भी लेती हैं. बी.ए.एल.एल.बी पाठ्यक्रम में सामान्यतः विधिक विषयों पर न्यायालयों में उपस्थिति, मॉक कोर्ट कार्यवाहियों, सेमीनारों, सिम्पोसियम्स, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण/विधिक सहायता केन्द्रों तथा अनुसंधान परियोजनाओं में हस्तगत प्रशिक्षण भी दिया जाता है. एल.एल.बी. डिग्री के अतिरिक्त, कई विश्वविद्यालय एवं संस्थान विधि के कुछ विषयों में अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाते हैं. विधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एल.एल.एम) 2 वर्ष की अवधि का होता है और इसके लिए पात्रता एल.एल. बी. डिग्री होती है. एल.एल.एम. पाठ्यक्रम करने के बाद कोई भी व्यक्ति पी.एच.डी. कर सकता है. प्रख्यात स्कॉलर्स को एल.एल.डी. डिग्री भी प्रदान की जाती है ।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

- सिविल/आपराधिक विधि
- संवैधानिक विधि
- प्रशासनिक विधि
- मानव अधिकार विधि
- परिवार विधि
- कराधान
- कॉर्पोरेट विधि
- व्यवसाय विधि
- अंतर्राष्ट्रीय विधि
- श्रमिक विधि
- भू–सम्पदा विधि
- बौद्धिक सम्पत्ति/पेटेंट विधि

स्नातकोत्तर/अनुसंधान स्तर तक विधिक शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों/प्रमुख संस्थाओं की सूची :

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
3. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
4. दिल्ली विश्वविद्यालय
5. जामिया मिल्लिया इस्लामिया
6. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
7. राष्ट्रीय भारतीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, बंगलौर
8. राष्ट्रीय उच्च विधि अध्ययन विश्वविद्यालय, कोच्चि
9. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उड़ीसा, कटक
10. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
11. राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
12. डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ

13. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
14. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर
15. राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची
16. चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना
17. गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर
18. नल्सार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
19. एमिटी विधि विद्यालय एवं उच्च विधिक अध्ययन संस्थान, नोएडा
20. आन्ध्र प्रदेश विधि विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम.
21. डॉ. आम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नै.

उक्त सूची उदाहरण मात्र है. कुछ अन्य राज्य/निजी विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्थाएं भी विधिक शिक्षा देती हैं.

(लेखक, एमिटी विश्वविद्यालय उच्च विधिक अध्ययन संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर तथा भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय के भूतपूर्व अपर विधायी परामर्शदाता हैं. इन्होंने मानव अधिकार विषयों पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं.

ई मेल : amkhwaja2007@yahoo.co.in